

हिल्विव समाचार

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746



जयपुर >> सोमवार, 28 मार्च, 2022

hillviewsamachar@gmail.com

विश्व धरोहर परकोटे की हवेलियों में दीगंक की तरह फैल रहे हैं अवैध निर्माण

एक तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र स्मारकों को विश्व धरोहर में जुड़वाने की बात करते हैं और परकोटे में बढ़ते अवैध निर्माण विश्व धरोहर की सूची से परकोटे को हटाने की कृगार पर है

शासिनी श्रीवास्तव



जयपुर। जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली, चौड़ा रस्ता) के बाद इससे सटी हुई रूपसिंह जी की हवेली भी होगी अब जमींदोजा। टूट कर बिखरती जा रही है वैश्विक धरोहर।

विश्व विरासत यूनेस्को की सूची में अपनी ऐतिहासिक विरासत की छवि के लिए प्रसिद्ध परकोटे में स्थित जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) में अवैध निर्माण पैचवां मैजिल चढ़ चुका है और तो और आसपास की हवेलियों को भी इस निर्माण में शामिल करने की कावयद शुरू हो गयी है। जयपुर कॉलेज से सटी रूपसिंह जी की हवेली भी अब जयपुर कॉलेज में शामिल करने की कावयद शुरू हो गयी है। जयपुर कॉलेज से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को भेट चढ़ जाएगा।

जयपुर की विश्व विरासती छवि को भी ग्रहण लगातार लग रहा है लेकिन स्वायत्त शासन, नगर नियम, मंत्री अधिकारी सब चैन की नींद सोए हैं।

इसी दुस्साहस के चलते अन्य भूमिकाओं को लगातार बल मिल रहा है ऐसे में अवैध निर्माणों की गति दोगुनी हो गयी है। लगातार भृष्टाचार दबंगता और तानाशाही शासन प्रशासन के चलते इस निर्माण का सच क्या है कि आमजन, मैडिड द्वारा घोर विरोध होने पर भी यह अवैध निर्माण निरस्तर चाल रहा है।

जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली, गोपाल जी का रस्ता) का लगातार मैजिल दर मैजिल चढ़ता अवैध निर्माण हो या राजपार्क या ऐश्वर्या की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर या मालवीय नगर के आवासीय क्षेत्र में बड़ी बहुमूल्यता भवन और कॉम्प्लेक्स यहाँ बढ़ते-चढ़ते यह अवैध निर्माण, यहाँ के निवासियों का सुख-चैन तो नहीं ही रहे हैं और तो और समृद्ध शहर भूमिकाओं और अतिरिक्त विभागों के नाक के नीचे सारे जाएं।

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अवगानना का कोई जवाब नहीं मेयर और आयुक्त हेरिटेज के पास

मनीराम जी की कोठी सहित 143 आवासीय हवेलियों में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों के अवैध निर्माण के विश्वदर्शक राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने ध्वस्तीकरण का आदेश 18 सितंबर 2019 को पारित किया। जिसमें तीन सूचियों में इन 143 अवैध भवनों के नाम पढ़े सहित नगर नियम हेरिटेज जयपुर के ध्वस्तीकरण की अवमानना नगर नियम हेरिटेज जयपुर लगातार कर रहा है। डीली नियम रिपोर्ट प्रिंटिंग संख्या 15/318/2013 सुनोनोटो बनाम स्टेट और राजस्थान के मायम से अवैध कॉम्प्लेक्सों की सूचियों जिनमें ध्वस्तीकरण किया जाना था वो पेज नंबर 4-5 पर दुबारा प्रकाशित की जा रही है। ताकि सरकार की नींद खुल सके। स्वायत्त शासन हो या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही।

लगातार संपर्क करने के बावजूद नियम व स्वायत्त शासन मंत्री एवं अधिकारियों ने चुप्पी साथ रखी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की अवमानना करने का मुनेश गुजर मेयर व आयुक्त अवधेश मीणा को कोई खौफ नहीं। न ही उनके पास कोई जवाब है इस मुद्दे का।

पेज नं. 4 व 5 पर ध्वस्तीकरण हेतु आदेशित अवैध कॉम्प्लेक्सों की सूची...



20-20 क्रिकेट मैच के दो मैचों में गेन ऑफ दी मैच रहे आईपीएस पंकज घौड़री

विधानसभा स्पीकर सीपी जाझी ने प्रदान की ट्रॉफी



जयपुर। आईपीएस, आईपीएस, आईपीएस इलेवन ने आसोने इलेवन को हाने के बाद फाइनल मैच में विधायकों को क्रिकेट मैदान में पछाड़ा। टीम की ओर से रवि जैन IAS, विष्णु मालिक IAS, एमएन दिनेश IPS, डॉक्टर रवि IPS, IFS विजय कुमार, शिवकांत नकाते IAS व अन्य अधिकारी भारीय सेवा के अधिकारियों ने क्रिकेट मैदान की शोभा बढ़ायी।

एमएन दिनेश व डॉक्टर रवि ने भी बले से अच्छा योगदान दिया। विजय कुमार व विक्रम ने 3-3 विकेट लिए। पंकज चौधरी ने छक्का मारकर फिफ्टी पूरी किया 28 गेंद पर नाबाद 51 से की पारी खेली और टीम का स्कोर 131 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका विभागी वैधव गहलोत ने पंकज चौधरी को ट्रॉफी प्रदान की।

सिविल सेवा टीम की ओर से रवि जैन IAS, विष्णु मालिक

सितंबर से फिर चलेगी पैलेस ऑन लील ट्रेन: घेरामैन आरटीडीसी



कार्यालय संवाददाता

जयपुर। नई दिल्ली में मंगलवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठेड़ ने रेल मंत्री अधिकारी वैष्णव, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी कण्ठ रेड़ी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी. के. प्रियांती और नेश सालेचा (IARS) वरिष्ठ (फाइनेंस) रेलवे बोर्ड से मुलाकात की। बैठक के बाद राठेड़ ने कहा कि राजस्थान के 'मालवी-मारवाड़ मीटर गेट सेवेशन' पर कामलीघाट से पूलाद के बीच पर्यटन हेतु सफारी ट्रेन चलाने के सदर्भ में एवं राजस्थान पर्यटन विकास नियम की ऐसी परिसंपत्तियों जो भारत सरकार के नाम दर्ज हैं उनको राजस्थान पर्यटन विकास नियम के नाम दर्ज करने जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता हुई है।

प्राचीन स्मारक हमारे अंतीत और सांस्कृतिक वैभव के परिचय हैं और राजस्थान की इस विरासत के संरक्षण के साथ ही इस बारे में सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के लिए जैसलमेर किले के संरक्षण को ध्वनि समाधान पर रखते हुए वह अतिक्रमण की सूची में प्रधानी के विरासतीकरण के लिए बहुत सभानाम हैं। विश्व धरोहर के रूप में मानवता मिलने से उस स्थान का प्रभावी संरक्षण तो होता ही है, विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान बनाने से वहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है।

विरासत के संरक्षण, सांस्कृतिक जागरूकता के लिए समर्पित प्रयास जरूरी

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए सांस्कृतिक स्मारकों को सूचीबद्ध करने का कार्य प्रधानी रूप में किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रस्ताव तैयार करने के साथ-साथ स्मारकों के संरक्षण और रख-खाल की साझा दीर्घालीन नीति पर भी कार्य किया जाए।



IAS, एमएन दिनेश IPS, डॉक्टर रवि IPS, IFS विजय कुमार, शिवकांत नकाते IAS व अन्य अधिकारी भारीय सेवा के अधिकारियों ने क्रिकेट मैदान की शोभा बढ़ायी। टीम की ओर से रवि जैन IAS, विष्णु मालिक IAS, एमएन दिनेश IPS, डॉक्टर रवि IPS, IFS विजय कुमार व विक्रम ने 3-3 विकेट लिए। पंकज चौधरी ने विधायक विकास नियम के प्रति आमजन का जुड़ाव और बढ़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक एवं

सरकार की आँखों में धूल व सरकारी रेवेञ्यू विश्व धरोहरों को निर्माण में गिला रहे हैं परकोटा हवेलियों में गुपचुप होते अवैध निर्माण

ओझा जी की हवेली की हवेली हो या नाना जी की हवेली या फिर रुपसिंह जी की हवेली, परकोटा की वैश्विक धरोहर धीरे-धीरे धरता हो रही है अवैध निर्माणों के हाथों

रूप में किशनपोल जैन उपचुकन हांसा मीणा के सम्म प्रस्तुत भी कर दिया गया। सरकारी आँखों में धूल झाँकने का दुसराहस कैसे आगा शरद इन्द्रनाथ ज्ञा में एक प्रशासनिक अधिकारी का हाथ उनके साथ पर है जिनका नाम आगामी अंकों में सत्यता के प्रमाण के साथ प्रकाशित किया जाएगा।

ओझा जी की हवेली के फर्जी व वास्तविक दस्तावेज एक नियम में...

बुम्हजिला भवन नियम अनुमति के स्वरूप रेल मंत्री ने नाना जी की हवेली के फर्जी व वास्तविक दस्तावेज एक नियम में दर्ज कर दिया जारी किया जिसमें लिखा है कि बाह्य धरोहर धीरे-धीरे धरता हो रहा है अवैध निर्माण स्वीकृति लेने का आदेश दिया गया।

भवन संख्या 769 सिह इयोडी बाजार, ओझा जी की हवेली के मालिक चन्द्रभान ओझा को सम्बोधित कर नारे नियम ने 21 सितंबर 2011 को नोटिस डिप्येच रजिस्टर में संख्या 10 में दर्ज कर एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा है कि...

उ



अलवर जिले के पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों पर किया जाएगा विचार: पर्यटन मंत्री



कार्यालय संवाददाता

जयपुर। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मालवार को विधान सभा में आश्वस्त किया कि अलवर जिले में पर्यटन स्थल व्योगित करने से जुड़े प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन पर जरूर विचार किया जाएगा।

सिंह ने प्रश्नकल के दौरान विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में मुण्डावर में



रिंगाइंडर-1 राजस्थान उच्च व्यायालय के आदेश त धरता किए जाने वाले 143 अवैध भवनों की सूची

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 15318/2013

(3 of 3)

[CW-15318/2013]

Suo Moto

----Petitioner

Versus

State Of Raj

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Shobhit Tiwari
 Mr. Vimal Choudhary with
 Mr. Yogesh Taifor

For Respondent(s) : Mrs. Naina Saraf
 Mr. Mahendra Shah
 Ms. Anita Aggarwal with
 Mr. Laxmikant
 Mr. Anil Mehta, AAG
 Mr. S.S. Sharma on behalf of
 Mr. Mahesh Gupta
 Mr. Madhusudan Sharma

1

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH GUPTA

Order

18/09/2019

1. The Court has considered the submissions of the parties and also considered the affidavit of the Municipal Corporation, Jaipur. This affidavit is filed in compliance with the directions of the previous orders of this Court dated 19.05.2019 and 27.03.2019. This order shall be deemed to be in continuation of the previous orders dated 19.05.2019 and 27.08.2019.

2. The materials on record show that firstly 362 properties were considered by the Committee which recommended inclusion of Jaipur as World Heritage City, and that survey of these properties is yet to be carried out by the Municipal Corporation. As far as the other properties are concerned, the Municipal Corporation has annexed three lists having regard to the survey carried out so far. The first list contains details of 19 properties which according to the Corporation require complete demolition since they are on public lands and/or are encroachments, or are downright unauthorised constructions. The time-frame indicated by the Corporation for taking complete suitable action in this regard is three months.

3. The second list contains particulars of 12 properties, which according to the Corporation has shown partial illegality. The Corporation's tentative programme for taking action and its completion in regard to the properties in the second list is six months from today.

4. The third list contains 112 properties- which in the opinion of the Corporation show minor deviations/illegality. According to the Corporation, the action with respect to the properties in the third list would be taken up and completed thereafter in a time-bound programme.

5. The third parties have intervened through an application. They urged the Court not to precipitate action without hearing them.

6. Having regard to the overall circumstances, this Court is of the opinion that 19 properties- which according to the Corporation require immediate demolition as they have been completely constructed contrary to law and/or are encroachments, need to be examined first. To facilitate the process, the Court hereby nominates the Principal Secretary, UDH and the Principal Secretary, Law, Government of Rajasthan. The Municipal Corporation shall within one week from today give specific notices to each of the occupiers of the 19 properties listing particulars of the deviations/illegality. The notice shall also indicate the address of the Nodal Officer as the person who would receive the representations/replies to the show cause notice.

7. The Committee set up by the Court- headed by the Principal Secretary, UDH, shall prepare a report based upon the verification and examination of the documents and representations filed. The report shall be compiled and filed in the Court within four weeks from today.

8. Each of the lists filed along with the Corporation's affidavit shall be annexed to the present order. Thus, list-I (which contains description of 19 properties shall be Annexure-A/3); list-

II shall be the properties shown at Page-40 of the affidavit; and list-III containing 112 properties is the list shown between page 41 to 45. The order along with these lists shall be uploaded on the Court's Website.

9. The Corporation shall ensure that no building activity takes place in respect of all the properties listed in the three lists annexed to this order. No Civil Court shall pass any injunction order in respect of these constructions.

10. List on 24.10.2019.

3

(PRAKASH GUPTA),J

KAMLESH KUMAR /s-64

(S. RAVINDRA BHAT),CJ



परकोटे क्षेत्र में चिह्नित अवैध भवनों की सूची प्रथम चरण भवन जो पूर्णतः अवैध है।

क्र.सं.	नाम व पता	कार्यवाही करने की समय सीमा
1	ऋषि कुमार फतेहपुरिया मकान नं. 458-59 रामगंज बाजार जयपुर।	तीन माह
2	हरें अग्रवाल 458 आबू हवेली ठाकुर पचेवर का रास्ता घाटगेट	तीन माह
3	शीतल कुमार पुत्र शंकरलाल मकान नं. 190 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
4	शिवचरण अग्रवाल मकान नं. 196 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
5	शारीरद जरगढ 207 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
6	बनवारीलाल गुप्ता व अन्य 410 मनीराम जी की कोठी	तीन माह
7	अमिल अग्रवाल 244 सीतापुरा हाउस रिही-सिद्धी काम्पलेक्स	तीन माह
8	रमेशचंद अग्रवाल, कुंजबिहारी 1984 हल्दियों का रास्ता	तीन माह
9	नेमोप्रकाश खण्डाका हवेली 2148 हल्दियों का रास्ता	तीन माह
10	रवि सचेती भवन संख्या 176 मुशरफों का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
11	सुनील बक्शी भवन संख्या 175 मुशरफों का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
12	कैलाश कुमार अग्रवाल भवन संख्या 153 मुशरफों का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
13	मधुसूदन अग्रवाल भवन संख्या 152 मुशरफों का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
14	रमेशचंद अग्रवाल पुत्र कुंजबिहारी मं.नं. 436 ठाकुर पचेवर का रास्ता घाटगेट जयपुर।	तीन माह
15	गोहम्मद साजिद मकान नं. 1873-74 पंचायती मस्जिद मोहल्ला महावताम	तीन माह
16	राधा गोविंद काम्पलेक्स मनीराम जी की कोठी	तीन माह
17	कानोता हवेली मनीराम जी की कोठी	तीन माह
18	सर्वज्ञ भूमि काम्पलेक्स दडा मार्केट	तीन माह
19	मकान नं. 1907 व 08 धाराइ जी का सुर्दा	तीन माह

उपायुक्त
हवामहल जोन पूर्व
नगर निगम जयपुर

अवैध भवन - द्वितीय चरण जो आंशिक रूप से अवैध है।

क्र.सं.	नाम व पता	कार्यवाही करने की समय सीमा
1	जुषा जेन पत्नि विमलेश कुमार जेन, 2657 धीवालो का रास्ता नागोरियों का चौक घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
2	नूरुलाही पुत्र गुलाम मुरताफा मं.नं. 1048 पदमपुरा हाउस के सामने गगापाल रोड जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
3	पवन ठोलिया पुत्र अनुपचंद ठोलिया, श्रीमति रेखा पत्नि पवन ठोलिया मं.नं. 2173 चाक्सु का चौक जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
4	अ. जबार पुत्र अ. वहाब मं.नं. 1480 धीवालो का रास्ता घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
5	रेशमा पत्नि अजीज अली, श्रीमति हीना पोसर पत्नि रशीद अली मं.नं. 5269 चांदी के ताजिये के आगे गती में रेगरो की कोठी घाटगेट।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
6	गोपाललाल पुत्र हनुमान सहाय 53, गोवधनपुरी स्कीम पार्क के पास चौ. शार्की शुमाली जयपुर	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
7	उरा जेन पुत्र विमलेश कुमार जेन मं.नं. 2657 रास्ता नागोदिया का चौक जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
8	पुरुषोत्तम अग्रवाल पुत्र भागीरथ प्रसाद अग्रवाल दु.नं. 244 मनीरामजी की कोठी घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
9	नसीम बानो पत्नि इरसाद अहमद, इमरान अहमद, अमीर अहमद दु.नं. 71 से 73, 104 से 106 मिश्रा मार्केट घाटगेट जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
10	रमचंद्र तेजवानी, ओमप्रकाश तेजवानी पुत्र प्रमदयाल तेजवानी मं.नं. 350 रायजी का घेर काले हनुमानजी मंदिर के सामने चांदी की टक्साल जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
11	आयुष मेहता पुत्र ज्ञानचंद महेता धीवालो का रास्ता मं.नं. 2811 घाटगेट।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
12	राजेश जेन पुत्र निहालचंद जेन मं.नं. 581 उंचा कुआ हल्दियों का रास्ता जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह

उपायुक्त
हवामहल जोन पूर्व
नगर निगम जयपुर



अन्य अवैध भवन – तृतीय चरण

क्र.सं.	नाम व पता	कार्यवाही करने की समय सीमा
1	सलमान पुत्र अताउल्लाह मं.नं. 3001-3002 खरादियों की मस्जिद के पास घाटगेट	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
2	वसीम फिरोज पुत्र अ. हकीम छपरबंधान का मोहल्ला आरएसी गेट का रास्ता जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
3	मो. फ़ईम पुत्र ईस्माइल जगन्नाथशाह का रास्ता, मोहल्ला बितेवालों का मं.नं. 3711 जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
4	अ. शूरू पुत्र अ. गफूर छोटे पार्क के सामने 2294, तकिया यकीनशाह की मस्जिद के पास।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
5	मो. सलीम पुत्र नूरमोहम्मद मं.नं. 4474 घोड़ा निकास रोड शिकारियों की मोरी के सामने जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
6	मुंशी शमशुदीन पुत्र करीमबक्श 862 एक मीनार की मस्जिद के पास नाल बंधान चौ. गंगापोल।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
7	इकबाल अहमद पुत्र स्व. निसार अहमद आकल खाने का रास्ता नाथ जी की बाईची के पास जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
8	शरीफ पुत्र मुनु खां उर्फ यामिर मं.नं. 2126 रास्ता उपरबंधान चौ. तोपखाना हजुरी।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
9	आरिफ अली पुत्र लियाकत अली एक मीनार मस्जिद के पास नालबंधा का मोहल्ला मं.नं. 829 जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
10	यूसुफ अली पुत्र लियाकत अली मं.नं. 829 एक मीनार मस्जिद के पास मोहल्ला नालबंधान गंगापोल जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
11	दर्शीउल्लाह पुत्र नवाब पहलवान मं.नं. 2901 मोटी सिंह मोमियों का रास्ता में दोरीबरदार के बाग के पास घाटगेट जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
12	आरिफ अहमद पुत्र अ. गफार मं.नं. 3783 जगन्नाथशाह का रास्ता नाहरवाडा जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
13	बाबू भाई पुत्र स्व. शमशुदीन मं.नं. 3375 कोठी बस्ती चोराहा गंगाबक्श जोशी का रास्ता जयपुर	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
14	रुक्मणी देवी पति स्व. कल्याणसहाय कोठी कोलियान केशर जी पार्क के मकान के पास	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
15	शब्बाब जहां पति बाजिद मं.नं. 2835 मोहल्ला महावतान कोठी कोलियान पंचायती मस्जिद के पास।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
16	मो. नासीर असारी पुत्र मो. यासिन अंसारी रास्ता उपरबंधान का पार्क बाईलाल से पहले गली में।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
17	अ. रहीम पुत्र नूर मं.नं. 963 फुटा खुर्रा रामगंज बाजार जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
18	अ. अहात पुत्र अ. अजीज दुन. 123 रामगंज बाजार जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
19	मो. उमर पुत्र मोहम्मदीन मं.नं. 751 लवाण का घेर बांदरी का नासिक चौकड़ी गंगापोल।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
20	अ. शमी पुत्र अ. सलाम मं.नं. 2932 रेगरो की कोठी भोतिसिंह	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
21	अ. सलीम पुत्र अजरउल्लाह मं.नं. 3995 आरा मशीन के सामने नाहरवाडा क. बस्ती जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
22	अनीस अहमद पुत्र गुलाम अहमद मं.नं. 6813 पतंगवालों का मोहल्ला चौ. रामचंद्रजी जयपुर	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
23	मो. रफीक पुत्र अ. रशीद दुन. 121 रामगंज बाजार जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
24	तनवी पुत्र जहांगीर मं.नं. 4042 नाहरवाडा रकूत के पूर्वी तरफ चौ. रामचंद्रजी जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
25	शब्बो पति बरीर मं.नं. 4850 श्रीमाल मंदिर के सामने घोड़ा निकास रोड जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
26	मो. रफीक पुत्र नूरमोहम्मद मं.नं. 4575 जगन्नाथशाह का रास्ता मस्जिद मोमियान के सामने।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
27	वसीम पुत्र मो. जयील मं.नं. 5112 मोहल्ला सरायवाला घाटगेट	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
28	अ. सतार पु. अ. रहीम मं.नं. 2514 कावियों का खुर्रा रामगंज बाजार जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
29	असरार पुत्र अ. सतार मं.नं. 3760 नाहरवाडा स्कूल की गली चौ. रामचंद्रजी।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
30	अ. मजीद पुत्र खलील रहमान मं.नं. 4199 फुटा खुर्रा कोने पर दकान नं. 247 के ऊपर रामगंज बाजार जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
31	मो. उमर पुत्र मोहम्मदीन मं.नं. 751 लवाण का घेर बांदरी का नासिक जयपुर	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
32	फारूक चौधरी पुत्र फकरदीन मं.नं. 1546 सुलम काम्लेक्स के पास पन्नीरान मोहल्ला जयपुर	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
33	नूरईलही पुत्र गुलाम मुस्तफा मं.नं. 1048 पदमपुरा हाउस के सामने गंगापोल जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
34	असरार पुत्र अ. सतार मं.नं. 3760 पतंगवालों का मोहल्ला जयपुर	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
35	उषा जेन टोंया पति सुरेश कुमार टोंया मं.नं. 2656 धीवालों का रास्ता जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
36	अ. गफार पुत्र अ. गली मं.नं. 1323 बालजी की कोठी का रस्ता मोहल्ला कुण्डों की गुवाड़ी जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
37	अ. मजीद पुत्र खलील रहमान दुन. 247 के ऊपर फुटा खुर्रा रामगंज बाजार जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
38	सुरेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्याम सिंह मं.नं. 1563 राधाकिशन का कुण्ड खालों जी का रास्ता तीसरा चोराहा जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
39	मो. जाहिद पुत्र अ. अमीनुदीन मं.नं. 4 शनीचर जी के खुर्रे के नीचे कर्नैयावालों की मो. डाकोतान चौ. हवाली शहर शकी शुमाली।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
40	आदिल पुत्र मो. सलीम शीतला माता का चौक मोहल्ला डाकोतान जयपुर	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
41	मो. यासीन पुत्र फेयाज खां मं.नं. 3475 निरितियों की छोटी मस्जिद के पास घाटगेट जयपुर	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
42	अखदर बेग पुत्र नजीर बेग मं.नं. 2813-15 जोगीयों का टीबा मेहरो की गली जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
43	शराफत पुत्र नसीर अहमद दुन. 63-65 मिश्रा माकेट संजय बाजार जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
44	मो. इरफान पुत्र अ. शहीद मं.नं. 4601 पुरानी कोतवाली का रास्ता घाटगेट	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
45	प्रकाशचंद्र सिंह पुत्र कर्नैयालाल सिंही मं.नं. 365 रायजी का घेर गंगापोल जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
46	फारूक खां पुत्र बूदू खां मं.नं. 4602 पुरानी कोतवाली का रास्ता घाटगेट जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह

हिलव्ही समाचार

क्र.सं.	नाम व पता	कार्यवाही करने की समय सीमा
47	आबिद खां पुत्र मजीद खां मं.नं. 679 लवाणजी का घेर का रास्ता गंगापोल जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
48	नंदकिशोर सोनी पुत्र हीरालाल दुन. 2011 बटटो की गली धावाई जी का रास्ता जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
49	मो. का रास्ता जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
50	शरफुदीन पुत्र नसरलाल दगडे वाली मस्जिद के पास मो. बिसायीपाल जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
51	मो. अशफाक पुत्र मो. यासीन मं.नं. 4235 जगन्नाथशाह का रास्ता जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
52	छोतमल बेरवा पुत्र गोरीलाल दजियों में बेरवा बस्ती चौ. तोपखाना हजुरी जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
53	शफीक माझ खां पुत्र अनवारउल्लाह मं.नं. 1250 बांदरी का नासिक गंगापोल जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
54	मो. असलाम पुत्र मो. यूसूफ मं.नं. 4072 चोते वाली मस्जिद के पास जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
55	जतनचंद जुनीवाल पुत्र रत्नचंद जुनीवाल मं.नं. 3866 एमएसबी का रास्ता जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
56	नजमा परवीन मस्जिद नसरलाल दगडे 907 उच्चा कुआ दरोगा जी की हवेली के सामने हिन्दियों का रास्ता घाटगेट।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
57	अ. रहीम पुत्र नूरमोहम्मद मं.नं. 963 मेहरो का रास्ता कोयले वालों की गली घाटगेट जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
58	अ. सईद पुत्र अ. शाकिल मं.नं. 3793 जगन्नाथशाह का रास्ता जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
59	रिष्व चोपडा पुत्र सुधीर कुमार मं.नं. 2899 एमएसबी का रास्ता घाटगेट जयपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 माह
60	नसीम बाजार पति मो. सलीम खान मं.नं. 506 मोहल्ला डाकोतान बदनपुर।	द्वितीय चरण पश्चात 06 म

